



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/80687/केमाशिबी/20-21 दिनांक: 29/01/20


विज्ञापित

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित मैट्रिक सरकारी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से सत्र 2020-21 में सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र विम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०सं०	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि	संबन्धित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञापित जारी करना	31 जनवरी, 2020	निदेशालय
2.	संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सूचना लॉक करना(आवेदन शुल्क सहित)	31 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2020	संबन्धित संस्था
3.	आवेदन पत्रों की 1. हार्डकापी जमा करना 2. ऑनलाईन जांच, 3. सत्यापन दलों का गठन, 4. संस्थाओं का मौखिक सत्यापन 5. अपलोड करना	31 जनवरी से 05 मार्च, 2020	संबन्धित संस्था एवं संबन्धित जिला शिक्षा कार्यालय
4.	निदेशालय द्वारा जांच उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अर्पित करना।	05 मार्च से 20 मार्च 2020	निदेशालय
5.	1. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की एनओसी हेतु अनुमोदन जारी करना। 2. संस्थाओं को एनओसी के योग्य पाये जाने की स्थिति में, एनओसी शुल्क, शिथिलन शुल्क, विलम्ब शुल्क की राशि चालान द्वारा जमा करवाकर दस्तावेज प्राप्त करना।	21 मार्च से 31 मार्च 2020	राज्य सरकार एवं निदेशालय

संस्था निर्धारित दिनांक पर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात् निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में 1,00,000/- रुपये दिये जाने की शर्त पर आवेदन हेतु फ़ूट 10 मार्च, 2020 तक प्रदान की जाती है।

संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in> प्राप्त की जा सकती है।


(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो/20-21

दिनांक :- 29/01/20

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)

विषय :- गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु सत्र 20-21 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र का नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है। संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में निरीक्षण दल का गठन कर, निरीक्षण दल से एक सप्ताह में निरीक्षण प्रतिवेदन मध्य टिप्पणी के प्राप्त करें। निरीक्षण दल निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपलब्ध भूमि एवं भवन की पर्याप्तता तथा विद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट टिप्पणी करें। निरीक्षण दल की टिप्पणी की समीक्षा कर विद्यालय का आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय को निम्नानुसार आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना है :-

(1) निर्धारित तिथियाँ इस प्रकार से है :-

क्र०सं०	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि	संबन्धित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी करना	31 जनवरी, 2020	निदेशालय
2.	संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सूचना लॉक करना (आवेदन शुल्क सहित)	31 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2020	संबन्धित संस्था
3.	आवेदन पत्रों की 6. हार्डकापी जमा करना 7. ऑनलाईन जांच, 8. सत्यापन दलों का गठन, 9. संस्थाओं का भौतिक सत्यापन 10. अपलोड करना	31 जनवरी से 05 मार्च, 2020	संबन्धित संस्था एवं संबन्धित शिक्षण कार्यालय
4.	निदेशालय द्वारा जांच उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रेषित करना।	08 मार्च से 20 मार्च 2020	निदेशालय
5.	3. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की एनओसी हेतु अनुमोदन जारी करना। 4. संस्थाओं की एनओसी के योग्य घाटे जाने की स्थिति में, एनओसी शुल्क, शिक्षितन शुल्क, विलम्ब शुल्क की राशि चालान द्वारा जमा करवाकर वस्तावेज प्राप्त करना।	21 मार्च से 31 मार्च 2020	राज्य सरकार एवं निदेशालय

संस्था निर्धारित दिनांक पर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात् निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में 1,00,000/- रुपये दिये जाने की शर्त पर आवेदन हेतु छूट 10 मार्च, 2020 तक प्रदान की जाती है।

(2) प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार देय है।

1. आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा—


- (अ)— उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु— 20,000 रुपये
- (ब)—माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु— 20,000 रुपये

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क निम्नानुसार देय होगा—

- (अ)— उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु— 60,000 रुपये
- (ब)—माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु— 50,000 रुपये
- कक्षा 08, 07 एवं 08 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के न्यूनतम सत्र के अनुभव में शिथिलन चाहने पर अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार देय होगा—
- एक सत्र के शिथिलन पर 25000/-रुपये
- दो सत्र के शिथिलन पर 35000/-रुपये
- तीन सत्र के शिथिलन पर 45000/-रुपये


सत्र 2020-21 हेतु निर्देशानुसार समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पादित की जानी है। संस्थाओं को एनओसी के योग्य भाये जाने की स्थिति में, एनओसी शुल्क, शिथिलन शुल्क, विलम्ब शुल्क की राशि चालान द्वारा जमा करवाकर इस्तावेज प्राप्त करना है।

- (3) आवेदन के लिए वे ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थारें पात्र होगी जिनके पास उच्चवि. स्तर की मान्यता या उससे ऊपर की कक्षाओं का संबालन किया जा रहा है।
- (4) विद्यालय में राजस्थान फीस विनियमन अधिनियम 2017 की पालना में फीस निर्धारण हेतु कमेटी का गठन नियमानुसार कर लिया गया है।
- (5) विद्यालय द्वारा आरटी000 नियमों की पूर्णतः पालना की जानी अनिवार्य है।
- (6) भूमि रूपान्तरण के काम में शासन के पत्रांक प.0 (1)शिक्षा-6/भूमि रूपान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 04.01.17 के अनुसार कार्यवाही करें।
- (8) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुज्ञप्ति की जानी आवश्यक है, सशर्त (conditional) अनुज्ञप्ति किये जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।


 दिनांक गुवा 29/01
 आई.ए.एस.
 निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
 राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-1), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
- (2) सचिव, बासिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर
- (3) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग


 उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र का प्रारूप:-

—: शपथ पत्र :-

मनके पुत्र/पुत्री श्री..... जाति..... उम्र..... वर्ष स्थायी
निवासी.....

(पूर्ण धारा लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

- अ- विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।
- ब- विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीआईएससीई से सम्बद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।
- स- संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरशः पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में ... छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा इनके विरुद्ध निम्नानुसार राशि राज्य सरकार से आहरित की गई।

क. सं.	सत्र	कक्षा कक्षा की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित शिक्षित द्वारा सन्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- द- विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
- य- विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि समन बंत्र लगा हुआ है तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।
- र- विद्यालय परिसर के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।
- ल- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रम्य निर्धारित मापदण्ड 1 : 10 मीटर में बना हुआ है।
- व- विद्यालय द्वारा उक्त पालना नहीं करने पर अथवा भागीदारी नहीं निमाने पर शिक्षा विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रत्याहस्तित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा शिक्षा विभाग के विरुद्ध न्यायालय से कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।
- श- भूमि रूपान्तरण के क्रम में शासन के पत्रांक प.३ (4) शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 04.01.17 के अनुसार पालना की गई है। भूमि संस्था के प्रयोक्तास्य संबंधित स्वाम अधिकारी/निकाय द्वारा रूपान्तरित है। भूमि के रूपान्तरण/वियमितकरण नहीं होने की दशा में एनओसी के संबंध में विचार नहीं किया जाये।
- ष- कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।
- स- नियोजित स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन-भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिये बैंक खाता किया जाता है।
- यह कि पैरा 01 से 08 तक के बिन्दुओं में वर्णित मेरी सूचना मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख आधारित पूर्णतः सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है, न ही घटाया/बढ़ाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथगृहिता
(सचिव संस्था)



निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निरीक्षण प्रतिवेदन

1. निजी विद्यालय का नाम
2. संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक एवं विद्यालय आईस कोड संख्या
3. विद्यालय का वर्तमान स्तर - उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक
4. गत शिक्षा सत्र में प्रवेशित संख्या का विवरण-

क्र.सं.	कक्षा अनुसार विवरण करें	कुल नामांकन	निरीक्षण दिवस को उपस्थिति		आर.टीई के तहत प्रवेशित छात्र संख्या
			छात्र	छात्रा	
कुल					

5. अड्यापन का माध्यम
6. राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा कक्षावार निर्धारित फीस के संबंध में जारी आदेश क्रमांक दिनांक का विवरण
7. विद्यालय भवन परिसर - संलग्न ब्लूप्रिन्ट के अनुसार कमरे उपलब्ध है। उपलब्ध कमरे निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते हैं/ पूर्ति नहीं करते हैं। (कक्षवार विवरण संलग्न करें।)
8. विद्यालय में कुल शौचालय उपलब्ध है, जिनमें छात्राओं हेतु पृथक है।
9. कार्यरत स्मस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्म तिथि	विवृति तिथि	योग्यता	वेतनमान/वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नकद/ बैंक खाते के माध्यम से

10. विद्यालय भवन के स्वामित्व की स्थिति- स्वयं/ लीज/ किराये का
11. उपलब्ध खेल मैदान क्षेत्रफल वर्गमीटर एवं स्वामित्व (स्वयं/ किराये)
12. मूल्य: का परीक्षा परिणाम-

कक्षा	परीक्षा में शामिल	उत्तीर्ण संख्या	प्रतिशत
कक्षा - 5			
कक्षा - 10			
कक्षा - 12			

13. विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार कृषि/ विद्यालय हेतु रुमांतरित
14. उपलब्ध दरो पट्टी/ ड्यूल डेस्क/ फर्नीचर -
 - कक्षा 1 से 5-
 - कक्षा 8 से 8-
 - कक्षा 9 से 12 पृथक-पृथक-
15. छात्र संख्या अनुसार उपलब्धता है। यह टिप्पणी कक्षा-कक्षा के भौतिक संस्थापन के बाद अंकित की जानी है।
16. नियोजित कर्मियों के भविष्य निधि कटौति राशि(लागू होने की दशा में) मासिक राशि में जमा कराए जाती है, निरीक्षण दल द्वारा अभिलेख में मिलान कर लिया गया है।
17. पुराने भवन को परिवर्तन करने का काम में शुरू किया गया है।
18. आवेदित विद्यालय भवन के किसी परिधि में अन्य कार्य चल रहा है/ गैर में संचालित नहीं है।
19. विद्यालय भवन परिसर में अथवा आस-पास मोबाइल टावर एवं विद्युत हाई वोल्टाई टावर नहीं है।
20. विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र चालू हालत में है एवं इस हेतु प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
21. तथा इसके संचालन हेतु विद्यालय में कार्यरत कर्मियों की पूर्ण जानकारी है।
22. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र में स्थापित है।

21. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 चालू होने की दशा में शिक्षा का स्तर टिप्पणी-
.....
22. विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पंचांग अंगीकृत है- हाँ / नहीं
23. विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु उचित व्यवस्था है- हाँ/नहीं एवं शौचालय हेतु पानी की समुचित व्यवस्था है- हाँ / नहीं
24. संस्था द्वारा चाहा गया संकाय/अतिरिक्त संकाय:-
25. संस्था द्वारा चाहे गये विषय/अतिरिक्त विषय:-
26. भवन परिवर्तन की स्थिति में नवीन भवन का पता:-
.....
27. संस्था द्वारा चाहा गया अतिरिक्त माध्यम:-
28. संस्था में पूर्व में संचालित माध्यम:-

उक्त विवरण के आधार पर संस्था द्वारा वाक्य प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है/निम्नलिखित कारणों से स्वीकृति योग्य नहीं है-

.....

.....

हस्ताक्षर
निरीक्षण दल
शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी

हस्ताक्षर
संबंधित पं.स. के नोडल
का प्रधानाचार्य/प्र.अ.


हस्ताक्षर
संस्था प्रतिनिधि

उक्त सदस्यों की समान राय नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी मतभेद के बिन्दुओं का अंशक पर स्वयं भौतिक सत्यापन/अभिलेख जांच के आधार पर टिप्पणी निम्नानुसार अंकित करेगा-

मतभेद बिन्दु	दास्ताविक टिप्पणी


उक्त के अनुसार आवेदन के क्रम में अभिलेख की जाती है/प्रस्तुत आवेदन पत्र निम्न-
योग्य है।

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उपविधियों के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनावृत्ति प्रमाण पत्र बाबत जारी करने कायदा जॉइंट विन्डु प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप नियमानुसार जॉइंट विन्डु	निर्धारित मापदण्ड	आवेदित संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की आधार पर अनुपासना (हाँ/नाही)	दस्तावेजों संलग्नक संख्या	विशेष विवरण
01.	भूमि	कम से कम 1.5 एकड़, (8070 वर्ग मीटर) 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु कम से कम 01 एकड़			
02.	भवन स्वामित्व का प्रकार- I. स्वयं का II. किराये का				सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी भवन का कम्प्यूटिड मय पुस्तिका प्रमाण पत्र
03.	कक्षा कक्ष- I. कक्षाओं की संख्या अनुसार II. प्रयोगशाला एवं उपकरण III. कम्प्यूटर लैब मय इंटरनेट	8 X 8 मीटर प्रति कक्ष 9 X 8 मीटर (कक्षा 10 के लिये न्यूनतम दो तथा कक्षा 12 हेतु वैकल्पिक प्रायोगिक विषयानुसार) कम से कम 10 कम्प्यूटर होना आवश्यक			
04.	अन्य आवश्यक सुविधा- I. रैम्प II. शौचालय (पृथक-पृथक) III. फर्नीचर IV. पुस्तकालय V. वाचनालय	पर्याप्त पर्याप्त (14 X 8 मीटर)			



	कक्ष VI. खेलकूद एवं उपकरण VII. अहुद्वैतीय हॉल				
06.	अन्य औपचारिकताएँ— I. हाईटेन्सन लाईन रक्षित विद्यालय परिसर II. अग्निशमन यंत्र				
06.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालनाएँ 1. 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश II. फीस निर्धारण हेतु समिति का गठन एवं फीस निर्धारण की स्थिति				

नोट— विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षणिक विद्यालय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ किमें जाने पर निरीक्षण दल द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त के आधार पर निरीक्षण दल द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है / निम्नलिखित कारणों से नहीं की जाती है—


1.
2.
3.

निरीक्षण दल के हस्ताक्षर(पद, मोडर व दिनांक सहित)

1. संयोजक

2. सदस्य

3. सदस्य



CBSE/CISCE से संबद्धता हेतु अनंतिम प्रमाण पत्र बांटा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय

आवेदन का प्रकार-सम्बन्धित को टिक (✓) करें

- (i) कमोन्सलि-माध्य./उच्च माध्य स्तर
(ii) अतिरिक्त-विषय/घरने (iii) माध्यम स्थायी
(iv) भवन (v) नाम परिवर्तन स्वीकृति (vi) CBSE
CISCE से संबद्धता

महोदय,

उक्त विहित विषय की क्रम में विद्यालय से सम्बंधित सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. विद्यालय का नाम व पता :-

(नाम/भवन परिवर्तन हेतु आवेदन की स्थिति में संबंधित नाम/नये भवन के पते का विवरण लिखें) :-

2. ई-मेल आईडी: दूरभाष :- बेसिक
मोबाइल:

3. विभाग द्वारा पूर्व में जारी मान्यता/कमोन्सलि-आदेश क्रमांक दिनांक

4. अध्यापक का माध्यम:- हिन्दी/अंग्रेजी अतिरिक्त माध्यम हेतु आवेदन की स्थिति में वांछित माध्यम:-

5. उच्च माध्यमिक स्तर पर कमोन्सलि- हेतु आवेदन की स्थिति में खोले जाने वाले संकाय: 1. 2. 3.

6. अतिरिक्त संकाय हेतु आवेदन की स्थिति में विद्यालय में पूर्व से संचालित संकाय (1) (2) आवेदन किये गये अतिरिक्त संकाय एवं विषयों का विवरण (1) (2)

7. अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन की स्थिति में खोले जाने वाले नये विषय:-

8. संचालनकर्ता संस्था का नाम व पूर्ण विवरण:-

1. नाम:

2. लोकेशन:

3. दूरभाष:

4. ई-मेल आईडी:

5. अध्यक्ष का नाम:

6. सचिव का नाम:

विद्यालय के निकट स्थापित राजकीय मा.वि./उ.मा.वि. से दूरी कि०मी० एवं नाम:

03



10. संस्था के वजीयन का विवरण:-

वजीयन संख्या वर्ष दिनांक

11. संस्था सचिवालय के अनुसार संस्था संचालन का उद्देश्य:-

कार्यकारिणी में कुल संस्था संख्या:-

कार्यकारिणी की अतिरिक्त बैठक दिनांक:-

गत 02 तिमाही में आयोजित बैठकों की दिनांक (1) (2)

12. संस्था कार्यकारिणी द्वारा विद्यमानानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिये गये सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु आयोजित बैठक का विवरण :-

बैठक दिनांक	उपस्थित कार्यकारिणी की संख्या	संश्लेषित पारित प्रस्ताव का विवरण

13. गत शैक्षिक सत्र में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षागुणा संख्यात्मक विवरण:-

क्र. सं.	कक्षा	प्रवेशित छात्र-संख्या	अपेक्षित छात्र-संख्या	संश्लेषित छात्र-संख्या	विद्यमान विद्यार्थियों की संख्या	सरकार द्वारा पुनर्निर्णय की गई राशि

14. गत शैक्षिक सत्र में "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जोड़ना अधिनियम- 2009" के प्रावधानानुसार प्रवेशित छात्र संख्या:-

15. राज्य स्तरीय परीस निर्धारण समिति द्वारा परीस निर्धारण हेतु जारी आवेदन क्रमांक एवं दिनांक एवं कक्षागुणानुसार निर्धारित परीस का विवरण:-

क्र.सं.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित परीस-राशि

16. कार्यरत स्टाफ की शैक्षिक योग्यता का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी नय पद	शैक्षिक योग्यता	विशेष योग्यता	सर्वनाम	कुल शैक्षिक योग्यता

17. संबद्धता:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से संबद्धता क्रमांक दिनांक

18. संबद्धता वर्ष :-

19. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की स्थिति में संबद्धता लिखे जाने वाले कोड का (CBSE/CISCE) :-

20. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या:-

21. विद्यालय भवन का स्वामित्व विवरण :- स्वयं का स्वामित्व / लीजहोल्ड / किराये पर

22. आवेदन शुल्क हेतु साफकोष में जमा राशियन सं. दिनांक राशि

उक्त के कम में वांछित दस्तावेज संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कुपया शैक्षिक सत्र.....के विद्यालय का फगोन्ति/अतिरिक्त विषय/संकाय/ भवन/परिपत्रन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/ CBSE/CISCE के संयुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र निम्नलिखित शैक्षणिक/अग्निशमन/बोर्डिंग के अंतर्गत करने का प्रयत्न करने का आदेश किया गया है। विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति पत्रों को करने पर कालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा कराये जाने वाली राशि जि०शि०अ० (ना०) कार्यालय में जारिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने की सहमति भी देकर करता है।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर संस्था सचिव
मय मुहर

संलग्न दस्तावेज सूची:-

1. संस्था के पंजीयन/अनापत्ति आवेदन एवं विद्यालय की प्रति।
2. विद्यालय परिपत्रन/अतिरिक्त विषय/संकाय/भवन/परिपत्रन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/ CBSE/CISCE के संयुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र निम्नलिखित शैक्षणिक/अग्निशमन/बोर्डिंग के अंतर्गत करने का प्रयत्न करने का आदेश किया गया है।
3. विद्यालय भवन/अग्निशमन/बोर्डिंग के अंतर्गत करने का प्रयत्न करने का आदेश किया गया है।
4. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत जारी आदेश का प्रति।
5. विद्यालय भवन/अग्निशमन/बोर्डिंग के अंतर्गत करने का प्रयत्न करने का आदेश किया गया है।
6. नियोजित संयुक्त कक्षा/अतिरिक्त विषय/संकाय/भवन/परिपत्रन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/ CBSE/CISCE के संयुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र निम्नलिखित शैक्षणिक/अग्निशमन/बोर्डिंग के अंतर्गत करने का प्रयत्न करने का आदेश किया गया है।
7. निर्धारित प्राप्ति में अनापत्ति प्रमाण पत्र।
8. आरक्षित कॉन्वेंट पेटेंट/अनापत्ति प्रमाण पत्र/अतिरिक्त विषय/संकाय/भवन/परिपत्रन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/ CBSE/CISCE के संयुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र निम्नलिखित शैक्षणिक/अग्निशमन/बोर्डिंग के अंतर्गत करने का प्रयत्न करने का आदेश किया गया है।
9. संस्था की गत 03 वर्षों की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट।
10. विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता आवेदन की प्रति।
11. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के तब में पारित प्रस्ताव की प्रति।
12. विद्यालय भवन में मोबाइल टॉवर एवं हाईटेंशन लाइन नहीं होने का प्रमाण पत्र।
13. अग्निशमन यंत्र/सिस्टम होने का प्रमाण पत्र।
14. अन्य वांछित/आवश्यक दस्तावेज।